RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
नवंबर
05
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

वायु गुणवत्ता सूचकांक / Air Quality Index - AQI

संदर्भ:

दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस समय अधिकतर क्षेत्रों **में 'Very Poor' (बहुत खराब)** से लेकर 'Severe' या 'Hazardous' (गंभीर/खतरनाक) श्रेणी में दर्ज की जा रही है। समग्र Air Quality Index (AQI) लगभग 309 है, जबकि कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर स्तर 400 से अधिक दर्ज किया गया है, जो 'Hazardous' (खतरनाक) श्रेणी में आता है।

स्वास्थ्य परामर्श:

- वर्तमान वायु गुणवत्ता सभी के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि स्थिति में सुधार होने तक बाहरी गतिविधियों को सीमित करें या पूरी तरह से टालें।
- संवेदनशील समूह जैसे बच्चे, बुजुर्ग और सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोग विशेष रूप से जोखिम में हैं। उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए या संभव हो तो शहर छोड़ने पर विचार करना चाहिए।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index - AQI):

परिभाषा: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक संख्यात्मक पैमाना है जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियाँ जनता को दैनिक वायु प्रदूषण के स्तर और उससे होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों की जानकारी देने के लिए करती हैं। यह विभिन्न प्रदूषकों के जटिल आंकड़ों को एक आसान संख्या, विवरण और रंग कोड में बदल देता है ताकि लोग आसानी से समझ सकें।

यह कैसे काम करता है: AQI का मान वायु में मौजूद प्रमुख प्रदूषकों की एक निश्चित अवधि में मापी गई सांद्रता (concentration) के आधार पर तय किया जाता है। अधिकतर देशों में यह सूचकांक निम्नलिखित मुख्य प्रदूषकों पर आधारित होता है–

- ग्राउंड-लेवल ओज़ोन (O_3)
- कणीय प्रदूषण जिसमें $PM_{2.5}$ और PM_{10} शामिल हैं
- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)
- *(भारत में अतिरिक्त रूप से)* अमोनिया (NH_3) और सीसा (Lead - Pb)

हर निगरानी केंद्र पर इन सभी प्रदूषकों में से जिसका AQI मान सबसे अधिक होता है, उसे उस स्थान का AQI माना जाता है। जितना अधिक AQI मान होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक और स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक माना जाता है।

AIR QUALITY STANDARDS

AIR QUALITY INDEX (AQI)	CATEGORY
0-50	Good
51-100	Satisfactory
101-200	Moderate
201-300	Poor
301-400	Very Poor
401-500	Severe

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण

दिल्ली का वायु प्रदूषण कई कारणों का मिश्रण है – लगातार स्थानीय उत्सर्जन (local emissions), मौसमी घटनाएँ, और मौसम व भौगोलिक स्थितियाँ जो मिलकर शहर के ऊपर दूषित हवा को फंसा देती हैं।

वायु गुणवत्ता खराब होने के प्रमुख कारण:

1. स्थानीय प्रदूषण के अनेक स्रोत: दिल्ली में सालभर प्रदूषण के कई स्थायी स्रोत हैं –

- बड़ी संख्या में चलने वाले वाहन,
- निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल,
- औद्योगिक गतिविधियाँ,
- कूड़े और ठोस ईंधन (solid fuel) का जलाना,
- कुछ घरों में हीटिंग के लिए कोयला या लकड़ी का उपयोग।

2. पराली जलाने का मौसम: हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच पास के राज्यों (मुख्यत: पंजाब, हरियाणा आदि) के किसान फसल कटाई के बाद बची हुई पराली जलाते हैं ताकि खेत जल्दी साफ हो सकें। इनसे उठने वाला धुआँ हवा के साथ दिल्ली की ओर पहुँचता है, जिससे प्रदूषण स्तर अचानक बहुत बढ़ जाता है।

3. खराब मौसम (सर्दियों की स्मॉग): सर्दियों में हवा ठंडी और स्थिर हो जाती है। ऊपर की परत में मौजूद गर्म हवा एक ढक्कन (lid) की तरह काम करती है और नीचे की ठंडी हवा में प्रदूषक फंस जाते हैं। इससे गाढ़ी, जहरीली स्मॉग बन जाती है।

4. भौगोलिक स्थिति का प्रभाव: दिल्ली एक भूमिबद्ध मैदान में स्थित है। इसके पास हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो ठंडी हवा और प्रदूषकों को उत्तर दिशा की ओर जाने से रोकती है।

इससे दूषित हवा क्षेत्र में फंसी रहती है और समस्या और बढ़ जाती है।

परमाणु हथियार परीक्षण / nuclear weapons testing

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को अन्य शक्तियों के समान स्तर पर परमाणु हथियार परीक्षण दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रंप का दावा है कि **रूस, चीन और पाकिस्तान** पहले से ही गुप्त परमाणु परीक्षण कर रहे हैं।

परमाणु हथियार:

क्या हैं? परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के अत्यंत शक्तिशाली उपकरण हैं। ये नाभिकीय प्रक्रियाओं – **विखंडन**, **संलयन**, या दोनों – से भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं और बड़े पैमाने पर जनहानि तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान कर सकते हैं।

यह कैसे काम करते हैं:

- **विखंडन:** यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणुओं के नाभिक पर न्यूट्रॉन टकराने से वे टूट जाते हैं। इस टूटने से बहुत ऊर्जा निकलती है और विस्फोट होता है।
- **संलयन:** हल्के तत्वों (जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक) के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया विखंडन की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा छोड़ती है। थर्मोन्यूक्लियर (हाइड्रोजन) बम में आम तौर पर पहले विखंडन विस्फोट की ज़रूरत होती है ताकि संलयन शुरू हो सके।

प्रमुख प्रकार:

- **विखंडन बम:** केवल विखंडन प्रक्रिया का उपयोग।
- **थर्मोन्यूक्लियर/हाइड्रोजन बम:** विखंडन और संलयन दोनों का संयोजन; बहुत अधिक शक्तिशाली।

उपयोग के अनुसार वर्गीकरण:

- **रणनीतिक हथियार:** लंबी दूरी के, बड़े लक्ष्य (शहर/बुनियादी ढाँचा) नष्ट करने के लिए।
- **गैर-रणनीतिक/सामरिक:** सीमित दूरी/समरिक उद्देश्य के लिए छोटे हथियार।

प्रभाव:

- **विस्फोट और तीव्र ऊष्मा:** अत्यधिक गर्मी और विनाशकारी धमाका; आग का बड़ा गोला बनना।
- **विकिरण:** तत्काल और दीर्घकालिक रेडियोधर्मी विकिरण – गंभीर बीमारी, मृत्यु और आनुवंशिक क्षति।
- **दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान:** जमीन बंजर होना, जैविक और आनुवंशिक समस्याएँ पीढ़ियों तक।

परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाला पहला देश:

पहला परमाणु उपकरण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा **16 जुलाई, 1945 को न्यू मैक्सिको** के ट्रिनिटी स्थल पर परीक्षण के तौर पर विस्फोटित किया गया था, जिसकी क्षमता लगभग **20 किलोटन टीएनटी** के बराबर थी।

परमाणु वारहेड का वैश्विक अनुमान:

- **रूस:** 5,459 वारहेड
- **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA):** 5,177 वारहेड
- **चीन:** 600 वारहेड
- **फ्रांस:** 290 वारहेड
- **यूनाइटेड किंगडम (UK):** 225 वारहेड
- **भारत:** 180 वारहेड (जनवरी 2025 तक अनुमान)
- **पाकिस्तान:** 170 वारहेड
- **इज़राइल:** 90 वारहेड (अनुमानित)
- **उत्तर कोरिया:** 50 वारहेड (अनुमानित)

मुख्य तथ्य:

- रूस और अमेरिका के पास पारंपरिक रूप से सबसे बड़े भंडार हैं; चीन की तेज़ बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से चिंता का विषय बनी हुई है।
- भारत-पाकिस्तान क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में लगभग बराबरी पर दिखते हैं, जबकि अन्य परमाणु शक्तियाँ (यूरोपीय व मध्य-पूर्व) अपेक्षाकृत कम शिखर पर हैं।

भारत के परमाणु परीक्षण – पोखरण-I और पोखरण-II:

पोखरण-I (1974) – ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा: 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे "ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा" कहा गया। यह भारत की परमाणु शक्ति में प्रवेश का प्रतीक था और देश की वैज्ञानिक व रणनीतिक क्षमता को प्रदर्शित करता था।

पोखरण-II (1998) – ऑपरेशन शक्ति: इसके बाद 1998 में भारत ने **"ऑपरेशन शक्ति"** के तहत पाँच और सफल परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने भारत को एक घोषित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया।

महत्त्व:

- इन घटनाओं ने भारत की राष्ट्रीयसुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को मज़बूत किया।
- साथ ही, इनसे भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों, विशेष रूप से परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के प्रति रुख पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- इन परीक्षणों ने भारत की स्वदेशी वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता को भी दर्शाया।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2.0 / Special Intensive Revision 2.0

संदर्भ:

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने **Special Intensive Revision (SIR) 2.0** नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। यह देशभर में **मतदाता सूची** को साफ़-सुथरा बनाने का एक बड़ा अभियान है, जो आज से **12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में शुरू हो गया है।

- यह व्यापक जांच लगभग **51 करोड़ मतदाताओं** को कवर करेगी। इस अभियान में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं – तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप।

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR):

परिभाषा: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है, जिसे **असाधारण परिस्थितियों** में लागू किया जाता है – जैसे मतदाता सूची (voter roll) में बड़े पैमाने पर त्रुटियाँ, नामों की चूक, या राजनीतिक कारणों से उत्पन्न विशेष स्थिति।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य है –

- गलत या अपूर्ण मतदाता सूचियों को ठीक करना,
- प्रवासी मतदाताओं की दोहराव प्रविष्टियों को हटाना,
- और यह सुनिश्चित करना कि मतदाता सूची सटीक, समावेशी और अद्यतन हो।

कानूनी आधार: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत निर्वाचन आयोग (ECI) को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मतदाता सूची का पुनरीक्षण किसी भी उपयुक्त तरीके से कर सकता है, जैसा उसे आवश्यक लगे।

मुख्य महत्व:

- **फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों में कमी:** SIR अभियान के दौरान 'घोस्ट वोटर्स' या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण जैसी गड़बड़ियों को दूर किया जाता है, जिससे चुनाव अधिक निष्पक्ष बनते हैं।
- **जनसांख्यिकीय बदलावों का परिलक्षित होना:** लगातार हो रहे पलायन, नए युवा मतदाताओं का जुड़ना और शहरीकरण जैसे कारक पुराने मतदाता सूचियों को अप्रासंगिक बना देते हैं। SIR इन परिवर्तनों को सम्मिलित करता है।
- **वंचित समूहों का बेहतर समावेशन:** आंतरिक प्रवासी, दिव्यांगजन और पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता सही तरीके से सूची में शामिल किए जाते हैं।
- **पारदर्शिता और विश्वास में वृद्धि:** जब मतदाताओं को भरोसा होता है कि सूची अद्यतन और समावेशी है, तो लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था और भागीदारी बढ़ती है।
- **मतदान प्रक्रिया की दक्षता में सुधार:** स्वच्छ मतदाता सूची से मतदान केंद्रों का बेहतर प्रबंधन संभव होता है – जैसे सटीक बूथ आवंटन, कम अवैध मतपत्र और कम प्रशासनिक त्रुटियाँ (जैसा कि जयपुर में नए बूथों के निर्माण से देखा गया)।

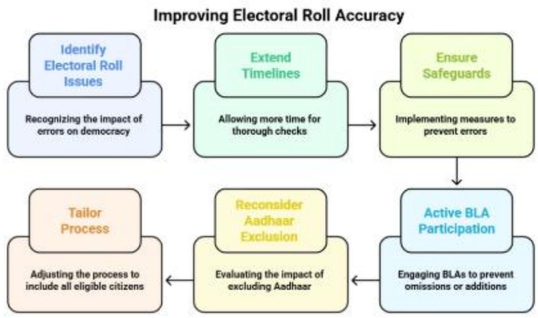

पिछली मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाएँ:

देश के विभिन्न भागों में 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाएँ आयोजित की गई थीं। बिहार में, पिछली मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया 2003 में आयोजित की गई थी।

SIR के सामने चुनौतियाँ:

1. **वैध मतदाताओं का बहिष्कार:** 2003 के बाद के मतदाताओं से अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगने पर गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।
2. **चुनाव से पहले का समय:** बड़े चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया भ्रम, पक्षपात के आरोप और प्रबंधन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकती है।
3. **कानूनी अस्पष्टता:** "Special Intensive Revision" शब्द मौजूदा नियमों में स्पष्ट रूप से नहीं है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।
4. **संसाधनों की कमी:** घर-घर सर्वे के लिए पर्याप्त मानवबल और तकनीकी संसाधनों की कमी बताई रही है।
5. **डिजिटल असमानता:** ग्रामीण और प्रवासी मतदाता ऑनलाइन प्रक्रिया में पिछड़ सकते हैं।
6. **राजनीतिक विवाद:** विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची में हेरफेर के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका भी लंबित है।

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता वार्ता / India-New Zealand Free Trade Agreement

संदर्भ:

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की चौथी दौर की वार्ता आज ऑकलैंड (न्यूज़ीलैंड) में शुरू हुई। यह दौर 3 से 7 नवंबर 2025 तक चलेगा और दोनों देशों के बीच संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभदायक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता की पृष्ठभूमि और मुख्य बिंदु:

पृष्ठभूमि: वर्तमान दौर की यह वार्ता पहले की चर्चाओं और मार्च 2025 में न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा से उत्पन्न सकारात्मक माहौल पर आधारित है।

- 16 मार्च 2025 को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैकक्ले के बीच इस FTA वार्ता की औपचारिक शुरुआत हुई थी।
- इससे पहले 2010 से 2015 के बीच हुए समझौते के प्रयास न्यूज़ीलैंड के डेयरी निर्यात से जुड़े बाज़ार पहुँच (market access) के मुद्दों के कारण रुक गए थे।

वर्तमान वार्ता के प्रमुख मुद्दे:

1. **सामान और सेवाओं का व्यापार:** बाज़ार पहुँच को बढ़ाने और लंबित व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने पर चर्चा चल रही है।
2. **मूल देश के नियम:** यह तय करते हैं कि किसी उत्पाद में स्थानीय सामग्री (local content) का कितना हिस्सा होना चाहिए ताकि उसे शुल्क लाभ मिल सके।
3. **डेयरी निर्यात (Dairy Exports):**
    - न्यूज़ीलैंड भारत के विशाल डेयरी बाज़ार में प्रवेश पाना चाहता है।
    - जबकि भारत अपनी **घरेलू डेयरी उद्योग** और **छोटे किसानों** के हितों की रक्षा करना चाहता है।

समझौते के लक्ष्य:

- एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता करना।
- आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाना,
- द्विपक्षीय व्यापार (FY25 में लगभग 1.3 बिलियन डॉलर) को बढ़ावा देना,
- निवेश प्रवाह को आसान बनाना, और
- आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को बढ़ाना।

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs):

परिभाषा: मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) दो या अधिक देशों के बीच ऐसे व्यापक व्यापारिक समझौते होते हैं जिनका उद्देश्य शुल्क (tariffs) और आयात-निर्यात प्रतिबंधों (import/export restrictions) जैसे व्यापार अवरोधों को कम या समाप्त करना होता है। इन समझौतों के तहत सदस्य देशों को विशेष बाज़ार पहुँच (preferential market access) मिलती है, जिसमें शुल्क रियायतें और गैर-शुल्क बाधाओं में कमी शामिल होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- FTAs में सामान के व्यापार (Trade in Goods) – जैसे कृषि और औद्योगिक उत्पाद – तथा सेवाओं के व्यापार (Trade in Services) – जैसे बैंकिंग, आईटी, निर्माण आदि – को शामिल किया जाता है।
- उन्नत FTAs में निवेश (Investment), बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights - IPRs), सरकारी खरीद (Government Procurement) और प्रतिस्पर्धा नीति (Competition Policy) जैसे अतिरिक्त अध्याय भी होते हैं।

व्यापार समझौतों के प्रकार:

1. **आंशिक दायरा समझौता (Partial Scope Agreement - PSA):** सीमित संख्या के उत्पादों पर केंद्रित।
2. **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** सदस्य देशों के बीच शुल्क कम करता है, लेकिन गैर-सदस्य देशों के लिए हर देश अपनी अलग शुल्क नीति रख सकता है।
3. **सीमा शुल्क संघ:** सदस्य देशों के बीच व्यापार मुक्त होता है और गैर-सदस्य देशों के लिए **साझा बाहरी शुल्क (Common External Tariff)** लागू होता है।
4. **सामान्य बाज़ार:** वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के साधनों (factors of production) की **मुक्त आवाजाही (free movement)** की अनुमति देता है।
5. **आर्थिक संघ:** सदस्य देश **मौद्रिक (monetary)** और **विनिमय दर (exchange rate)** नीतियों में समन्वय स्थापित करते हैं।

एन्सेफैलोमायोकार्डाइटिस वायरस / EMCV

संदर्भ:

दिल्ली चिड़ियाघर में एकमात्र अफ्रीकी हाथी **शंकर** की मौत दुर्लभ **एन्सेफैलोमायोकार्डाइटिस वायरस (EMCV)** से हुई, जो चूहों से फैलने वाला वायरस है। अधिकारियों के अनुसार, यह भारत के किसी भी चिड़ियाघर में इस वायरस से मौत का पहला मामला है।

मुख्य विशेषताएँ (Key Characteristics):

- **वर्गीकरण (Classification):** यह एक गैर-आवरणयुक्त (non-enveloped), सकारात्मक-सेंस (positive-sense), एकल-सूत्री RNA (single-stranded RNA) वायरस है।
- **मेज़बान (Hosts):** इसके मुख्य वाहक (reservoirs) जंगली कृंतक (wild rodents) जैसे चूहे और मूषक होते हैं। ये प्रायः लक्षण-रहित संक्रमण (asymptomatic infection) से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन अपने मल-मूत्र में वायरस छोड़ते हैं। यह वायरस सूअर, हाथी, गैर-मानव प्राइमेट (nonhuman primates) और अन्य चिड़ियाघर के जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है, जिनमें अक्सर यह संक्रमण गंभीर या घातक होता है।
- **संक्रमण के तरीके (Transmission):**
  - **मुख्य रूप से मल-मौखिक मार्ग (fecal-oral route)** से – संक्रमित कृंतकों के मल या मूत्र से दूषित भोजन या पानी के सेवन से।
  - **संक्रमित कृंतकों के शवों** को खाने से भी फैल सकता है।
  - **सूअरों में गर्भनाल के माध्यम से** संक्रमण के मामले भी दर्ज किए गए हैं।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** यह वायरस पर्यावरणीय परिस्थितियों और कई कीटाणुनाशकों (disinfectants) के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और मेज़बान के बाहर कई दिनों से हफ्तों तक संक्रामक रह सकता है।

क्लिनिकल लक्षण और रोग (Clinical Signs and Disease):

- **सामान्य:** लक्षण मेज़बान और वायरस की स्ट्रेन पर निर्भर करते हैं। कई मामलों में **अचानक मृत्यु** पहला संकेत होता है।
- **हाथी और गैर-मानव प्राइमेट:** इन प्रजातियों में यह संक्रमण प्रायः **घातक** होता है, जिससे तीव्र हृदय विफलता (acute heart failure) और फेफड़ों में सूजन (pulmonary edema) हो सकती है।

पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध / Generational Tobacco ban

संदर्भ:

मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने तंबाकू और वेपिंग (vaping) पर **पीढ़ीगत प्रतिबंध (generational ban)** लगाने का ऐतिहासिक फैसला किया है।

Generational Ban on Tobacco (पीढ़ीगत प्रतिबंध):

परिभाषा: *Generational Ban* एक ऐसा कानूनी प्रतिबंध (legal prohibition) है जिसका उद्देश्य *तंबाकू-मुक्त पीढ़ी (tobacco-free generation)* बनाना होता है। इस नीति के तहत किसी निश्चित वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की **खरीद, सेवन या उपयोग** करने की अनुमति जीवनभर नहीं दी जाती। इसका मकसद धीरे-धीरे समाज से तंबाकू की आदत को खत्म करना है।

मुख्य उद्देश्य (Main Objective): ऐसी नीति लागू करके सरकारें यह सुनिश्चित करती हैं कि आने वाली नई पीढ़ियां कभी तंबाकू की लत में न पड़ें, जिससे भविष्य में तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों में भारी कमी लाई जा सके।

वैश्विक स्थिति (Status of Tobacco Consumption):

1. **तंबाकू-जनित बीमारियाँ:** हर साल विश्वभर में लगभग **70 लाख से अधिक मौतों** का कारण बनती हैं।
2. **भारत (India)** विश्व के सबसे बड़े **तंबाकू उपभोक्ताओं और उत्पादकों** में से एक है।
3. **WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)** जैसी अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद, आज भी लगभग **1.3 अरब लोग** तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं।
4. भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं-
   - सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध,
   - तंबाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियाँ (pictorial health warnings),
   - विज्ञापन पर रोक (advertising restrictions),
   - और COTPA कानून (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) का प्रवर्तन।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazar ki
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..
Baaten Bazar Ki

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

EMI AVAILABLE

\+ **(FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)**

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR